' (d) Railways have agreed to take-over Kalva-Turbhe private siding on lease terms for movement of goods traffic after the terms and conditions of the Lease Agreement are accepted by the State Government.

अमरकंटक एक्सप्रैस/मालवा एक्सप्रैस/नर्मदा एक्सप्रैस का विलम्ब से चलाना

3504. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अगस्त, 1992 से 31 अक्तूबर, 1992 तक अवधि के दौरान अमरकंटक एक्सप्रेस /मालवा एक्सप्रेस/नर्मदा एक्सप्रेस कुल कितने दिन भोपाल तथा अपने अंतिम गन्तव्य स्टेशन पर कितने-कितने समय विलम्ब से पहुंची और उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पिछले इन तीन महीनों के दौरान अधिकांश दिन ये रेलगाड़ियां एक या एक से अधिक घंटे विलम्ब से चली; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में रेलगाड़ियां समय पर चलें, संबंधित अधिकारियों को अनुदेश देगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)।

(ग) गाड़ियों को समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश पहले ही मौजूद हैं, तथापि, रेलवे से असंबद्ध मामलों पर आंदोलन, बंद, खतरे की जंजीर खींचने और तोड़-फोड़ की अन्य गतिविधियों जैसे बाध्य कारक गाड़ियों के समयपालन को प्रभावित कर रहे हैं। नर्मदा एक्सप्रेस के संबंध में इंदौर में ओवरलैपिंग रेल की व्यवस्था सहित कई उपाय विचाराधीन हैं।

विवरण

1. भोपाल स्टेशन पर जो गाड़ियां विलम्ब से आईं

गाड़ी सं०		जितने दिन गाड़ी चली	विलम्ब 60 मिनट तक	60 मिनट से अधिक	जोड़
2853	अमरकंटक	53	12	23	35
2854	एक्सप्रेस	52	10	8	18
4067	मालवा	92	28	8	36
4068	एक्सप्रेस	92	22	10	32
8233	नर्मदा	91	24	64	88
8234	एक्सप्रेस	91	28	60	88

2. जो गाड़ियां गंतव्य स्थान पर विलम्ब से पहुंचीं।

गाड़ी सं०		जितने दिन गाड़ी चली	विलम्ब 60 मिनट तक	60 मिनट से अधिक	जोड़	गंतव्य स्थान
2853	अमरकटंक	53	12	23	35	भोपाल
2854	एक्सप्रैस	52	4	48	52	दुर्ग
4067	मालवा	92	24	5	29	नई दिल्ली
4068	एक्सप्रैस	92	6	11	17	इंदौर
8233	नर्मदा	89	7	79	86	बिलासपुर
8234	एक्सप्रैस	88	20	63	83	इंदौर

बिहार में रेलवे उपरि पुलों (ओवर-ब्रिज) का निर्माण

3505. **श्री गया सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कतिपय स्थानों पर रेलवे उपरि पुलों (ओवर-ब्रिज) का निर्माण किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर ध्वस्त समपारों के बदले लागत की भागीदारी के आधार पर ऊपरी / निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है:—

1. मोतिहारी-समपार सं॰ 163 ए के बदले।
2. आदित्यपुर-कि॰मी॰ 253/21-23 पर।
3. तुपकाडीह-तलगाड़िया खंड पर कि॰मी॰ 14.0 पर चास-इस्पातनगर।
4. चक्रधरपुर-कि॰मी॰ 312/23-25।
5. यारपुर-कि॰मी॰ 544/16-17 पर सम पार के बदले।
6. आरा-कि॰मी॰ 593/9-10 पर सम पार के बदले।
7. पारसनाथ-कि॰मी॰ 317 पर समपार सं॰ 14 के बदले।

निम्नलिखित स्थानों पर निक्षेप शर्तों पर ऊपरी सड़क पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है:-

1. हाजीपुर
2. कि॰मी॰ 346 पर कन्नुडीह-गोमो खंड
3. कि॰मी॰ 384 / 219 पर कतरास में।
4. कि॰मी॰ 285 / 900 पर डोकरा में।
5. कि॰मी॰ 8.857 पर सिन्दरी में।
6. तेतुलमारी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Abolition of AC first class in all the trains

3506. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether Government propose to abolish AC First class in all the trains and in all the routes in Indian Railways forthwith?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): No, Sir.

Construction of broad gauge line between Dindigul and Madras via Trichy

3507. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what progress has been made in construction of broad gauge line between Dindigul and Madras via Trichy, Chengelpat; and

(b) whether any time frame has been fixed for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) 40% on Madras-Tambram section.

(b) The tentative programme, subject to availability of resources, is as under:

Madras-Mount St. Thomas	—	1992-93
Mount St. Thomas-Tambram	—	1993-94
Tambram-Trichy	—	1994-95
Trichy-Dindigul	—	1995-96

नर्मदा एक्सप्रेस के विलंब से चलने के संबंध में रेलवे बोर्ड के विरूद्ध न्यायालय में दायर मुकदमा

3508. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा एक्सप्रेस 8233 और 8234 अप के निरंतर विलंब से चलने के कारण रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस न्यायालय में; और

(ग) दायर किए गए मुकदमे में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अक्तूबर' 92 में 11 / सिविल (व्यवहारिक) न्यायाधीश श्रेणी-1, बिलासपुर की [illegible]